

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-509-औस/2016-11(01)ए०एस०/2009

दिनांक 6 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के आदेश संख्या-4034-औ०स०/पाकालि/2014-11(1)ए०एस०/09 दिनांक 01.12.2014 के अनुक्रम में आदेश संख्या-804-औस/पाकालि/2014-11(1)/09 दिनांक 28.09.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा यह आदेश किये जाते हैं कि निशात हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, प्रा०लि०, जे०सी० बोस मार्ग, लखनऊ को विशिष्ट चिकित्सा हेतु उक्त चिकित्सालय में भर्ती होकर उपचार कराने पर गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय की भाँति आदेश सं०-195-औ०स०/2014-11(4)ए०एस०/86 (टी०सी०-2010) दिनांक 25.01.2014 में निहित व्यवस्थानुसार कारपोरेशन में प्रभावी सी०जी०एच०एस० की मानक दरों पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी तथा यदि चिकित्सालय द्वारा अधिक धनराशि किसी मद में ली जाती है तो वह सम्बन्धित कर्मचारी/रोगी द्वारा वहन की जायेगी।

उक्त आदेश दिनांक 01.03.2014 से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या:-509-(1) औस/पाकालि/2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- 3- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 8- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

N&L

.....2.....

- Naft Mater' 6.2.16
(नवनीत माथुर)
रु. कार्मिक अधिकारी